फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – राजेपुर

दिनांक –25.10.2026

थाना राजेपुर पुलिस द्वारा 04 नफर अभियुक्तगण को कुल 38 कार्टन अवैध आतिशबाजी (कीमत लगभग 05 लाख) सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर **श्री यमुना प्रसाद** के कुशल पर्यवेक्षण में दीपावली पर्व के दृष्टिगत विस्फोटक पदार्थों/ पटाखों के अवैध भण्डारण/ विक्रय की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर **03** संदिग्धो **33** अदद छोटे व बड़े कार्टन अवैध आतिशबाजी के साथ गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर थाना राजेपुर पर मु0अ0सं0 196/2026 धारा 9(ख)(1)(बी) विस्फोटक अधि0-1884 बनाम 01. संजीव 02. रोहित कुमार 03. संदीप कुमार पंजीकृत किया गया एवं अन्यत्र स्थान से **01** संदिग्ध को **05** अदद कार्टन अवैध आतिशबाजी के साथ गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-197/26 धारा 9(ख)(1)(बी) विस्फोटक अधि0-1884 बनाम गौरव कुमार पंजीकृत कर उक्त दोनों अभियोगों में अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

01. संजीव पुत्र राधेश्याम निवासी हमीरपुर सोमवंशी थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।
02. रोहित कुमार पुत्र अरविंद निवासी कस्बा राजेपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।
03. संदीप कुमार पुत्र रामविलास निवासी कस्बा राजेपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।
04. गौरव कुमार पुत्र अरविंद निवासी हमीरपुर सोमवंशी थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दीपावली पर्व के दृष्टिगत विस्फोटक पदार्थों/ पटाखों के अवैध भण्डारण/ विक्रय की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मुखबिर की सूचना पर थाना राजेपुर पुलिस द्वारा कस्बा राजेपुर से 03 संदिग्धो को 33 अदद छोटे व बड़े कार्टन अवैध आतिशबाजी जिनमें बारुदी पटाखे है, स्काई शाट, चखरी , फुलझडी आदि भरे हैं, सहित गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर थाना राजेपुर पर मु0अ0सं0 196/2026 धारा 9(ख)(1)(बी) विस्फोटक अधि0-1884 बनाम 01. संजीव पुत्र राधेश्याम 02. रोहित कुमार पुत्र अरविंद 03. संदीप कुमार पुत्र रामविलास निवासीगण राजेपुर पंजीकृत किया गया एवं एक अन्य कार्यवाही में कस्बा राजेपुर में जमापुर रोड से 01 संदिग्ध को 05 अदद कार्टन अवैध आतिशबाजी के साथ गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर थाना राजेपुर पर मु0अ0सं0-197/26 धारा 9(ख)(1)(बी) विस्फोटक अधि0-1884 बनाम गौरव कुमार पुत्र अरविंद उपरोक्त पंजीकृत कर दोनों अभियोगों में अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तो ने पूछने पर बताया कि हम लोग दीपावली के त्यौहार पर आतिशबाजी बेचने के लिये पहले से ही सस्ते दामों में खरीदकर भण्डारित कर लिये थे जिससे कि दीपावली के पर्व पर आतिशबाजी को महंगे दामों में बेचकर कमायी की जा सके। शेष बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

01. अभियुक्त संजीव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 196/2026 धारा 9(ख)(1)(बी) विस्फोटक अधि0-1884 थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ।

02. अभियुक्त रोहित कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

02. मु0अ0सं0 196/2026 धारा 9(ख)(1)(बी) विस्फोटक अधि0-1884 थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ।

03. अभियुक्त संदीप कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

03. मु0अ0सं0 196/2026 धारा 9(ख)(1)(बी) विस्फोटक अधि0-1884 थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ।

04. अभियुक्त गौरव कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

04. मु0अ0सं0 197/2026 धारा 9(ख)(1)(बी) विस्फोटक अधि0-1884 थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ।

बरामदगी का विवरण-

01. **33** अदद छोटे व बड़े कार्टन अवैध आतिशबाजी जिनमें बारुदी पटाखे है, जिनमें स्काई शाट, चकरी, फुलझडी।
02. **05** अदद कार्टून अवैध आतिशवाजी जिनमें बारुदी पटाखे है, जिनमें स्काई शाट, चखरी, फुलझडी आदि।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

01. उ0नि0 दर्शन सिंह सोलंकी थानाध्यक्ष राजेपुर
02. उ0नि0 गौरव कुमार शुक्ल
03. उ0नि0 जगदीश प्रसाद
04. हे0का0 शिवराज सिंह
05. का0 शशांक पाण्डेय
06. का0 निर्भय कुमार
08. म0का0 सुरेखा

मीडिया सेल फतेहगढ।